उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 73 / 2024
निर्णय दिनांक :– 13.01.2025
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1

1. कृष्णलाल पुत्र कल्याण, जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
2. कानाराम पुत्र कल्याण, जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अकरम पुत्र वजीर खाँ जाति मुसलमान, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
2. हकीम पुत्र वजीर खाँ जाति मुसलमान, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
3. ताजली पत्नी वजीर खाँ, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
4. उसैन खाँ पुत्र अलादीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
5. बजरूद्दीन दत्तक पुत्र इमामबक्स, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
6. अलादीन पुत्र ईमामबक्स, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
7. मदारी पुत्र ईमामबक्स, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
8. धन्सराम पुत्र कानाराम नाबालिग जरिये सरंक्षक पिता कानाराम पुत्र कल्याण जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
9. धर्मेन्द्र पुत्र कानाराम नाबालिग जरिये सरंक्षक पिता कानाराम पुत्र कल्याण जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
10. रामकिशोर पुत्र कृष्णलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।

लगातार...................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(2)

11. हसंराज पुत्र कृष्णलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
12. कमला देवी पत्नी स्व. रामसहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
13. विक्रम पुत्र कल्याण, जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
14. उपतहसीलदार नीमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज. ।
15. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री मुकेश चौधरी वकील प्रार्थीगण
श्री गोविन्द सिंह पंवार वकील अप्रार्थीगण1, 2, 3, 5, 6, 7
पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं. 14, 15

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128, 111 एल.आर.एक्ट बाबत् मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी आदेश फरमायें जाने बाबत्

निर्णय दिनांक :— 13.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या खतौनी सं. 46 के आराजी खसरा नम्बर 1134 रकबा 1.2139 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लसाडिया, पटवार हल्का लसाडिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र मैंदवास, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज. में स्थित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है।अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीगण ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान् उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश कमांक / भू.अभि. / 2024 / 1050—51 दिनांक 29 / 05 / 2024 की पालना में दिनांक 05 / 06 / 2024 को पटवारी हल्का लसाडिया से सीमाज्ञान करवाया गया जब सीमाज्ञान पूर्ण हो गया एवं फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगें तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में हुये सीमाज्ञान दिनांक 05 / 06 / 2024 को मध्यनजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शे अनुसार दर्शाते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा मिटाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते एवं प्रार्थीगण की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है तथा उक्त खसरा नम्बर के लगवा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नं. 1132,

लगातार.................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(3)

1131, 1135, 1153, 1152, 1155/2, 1155/1 है जो अपने हिस्से से ज्यादा बढकर अतिक्रमण करने की नियत से मेडबंदी को तोडते है तथा बिना सीमाज्ञान करवाये प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में कब्जा करने की कोशिश में है इसलिए प्रार्थीगण ने विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 05/06/2024 को पटवार हल्का लसाडिया, आई.एल.आर मैंदवास व उपस्थित खातेदारों की उपस्थिती में सीमाज्ञान करवा चुके है जिसके अनुसार प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी जो सीमाज्ञान द्वारा चिन्हित की गई है पर पत्थरगढी करवाकर पुख्ता सीमा कायम कर सके इसलिए पत्थरगढी करवाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैसीमाज्ञान दिनांक 05/06/2024 एवं आदेश क्रमांक/भू.अभि. /2024/1050-51 दिनांक 29/05/2024 को उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दि. 05/06/2024 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नहींमानते तथा प्रार्थीगण से आये दिन लडाई-झगडा व मेरे कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढ़ी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थीगण को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 05/06/2024 एवं उपतहसीलदार नीमेडा के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दि. 05/06/2024 के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 01, 02, 03, 05, 06, 07 की तरफ से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह नरूका उपस्थित हुए तथा जवाब पेष कर निवेदन किया कि सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2024 व उपतहसीलदार नीमेडा तहसील फागी के द्वारा पारित ओदश क्रमांक/भू0अभि0/2024/1050-51 दिनांक 29.05.2024 की पालना के अनुसार पटवारी हल्का लसाडिया के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2024 के मुताबिक खतौनी सं. 46 के आराजी खसरा नम्बर 1134 रकबा 1.2139 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लसाडिया, पटवार हल्का लसाडिया, भू0 अभि0 मैन्दवास, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजी भूमि का उक्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी को खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं. 4, 8, 9 लगायात 13 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं हुए। अप्रार्थी सं. 4, 8, 9 लगायत 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 15 उपस्थित हुए तथा जवाब पेष किया जिसे शामिल मिसल किया गया।जवाब में बताया कि उपतहसीलदार नीमेडा के आदेष कमांक/भू0अ0/24/1050-1051 दिनांक 29.05.2024 की पालना मे ग्राम लसाडिया के उक्त ख0नं0 1134 रकबा 1.2139 हैक्टेयर का भू0अ0नि0 मेंदवास के निर्देषन में दिनांक 05.06.24 की सीमाज्ञान किया था।

लगातार.................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 वाके ग्राम लसाडिया खाता सं0 46 में प्रार्थी रिकार्डेड सहखातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 03 मे अंकन किया है कि ख.नं. 1134का दिनांक 05.06.2024 विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधनिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 46 के आराजी खसरा नम्बर 1134 रकबा 1.2139 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लसाडिया, तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारानकी उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/01/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर